20- संविदा के पालन के लिए प्रत्याभूमि

यह करार–पत्र आज दिनांक.....को श्री.....(प्रत्याभूति दाता) पुत्र.....निवासी.....प्रथम पक्ष तथा श्री.....(मालिक) पुत्र निवासी.....निवासी.....द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया। यह कि;

यह करार दिनांक.....की एक संविदा जो श्री.....पुत्र.....निवासी..... तथा श्री.....पुत्र.....निवासी (संविदाकारों के नाम) (प्रथम पक्ष) तथा मालिक द्वितीय पक्ष के मध्य हुआ था, का अनुपूरक है, जिसके द्वारा प्रत्याभूतिदाता ने, एतद्पश्चात् वर्णित रीति में उक्त संविदा के समुचित पालन की प्रत्याभूति देने का करार किया है।

अतः प्रत्याभूतिदाता एतद्द्वारा मालिक के साथ निम्नानुसार करार करता है :–

(1) यदि संविदाकार, किसी भी सम्बन्ध में संविदा पूरा करने में विफल होंगे अथवा उसके अधीन अपने दायित्वों का कोई उल्लंघन करेंगे तो प्रत्याभूतिदाता मालिक तथा उसके वैयक्तिक प्रतिनिधियों को ऐसी समस्त हानि, क्षति, परिव्यय तथा व्यय के विरुद्ध अथवा अन्यथा क्षतिपूरित करेगा, जो कि उसे संविदा में अन्तर्विष्ट करारों और उपबंधों का संविदकारों द्वारा पालन न किये जाने के कारण उठाना पड़े।

(2) यदि ऐसी किसी हानि, क्षति, परिव्यय, व्यय आदि की राशि के बारे में कोई प्रश्न या विवाद उठेगा तो उसका निर्धारण, संविदा की प्रकृति के अनुरूप, किसी सामान्य वास्तुकार, अभियन्ता या व्यापार–विशेषज्ञ द्वारा कराया जायेगा।

हस्ताक्षर प्रतिभूतिदाता

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

साक्षीगण

1.....

2.....